संख्या- 13/2015/343/अड़तीस-5-15-27 बजट/2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 12 मई, 2015

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पेयजल के विभिन्न कार्यक्रम हेतु प्राप्त केन्द्रांश / राज्यांश की धनराशि के शार्टफाल को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-350/ डब्लू बी-568/2015, दिनांक 22.04.2015 एवं तद्संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न स्वीकृत आदेशों जिनका विवरण निम्नवत है का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

(धनराशि रू0 लाख में)

1.	G-11011/06/2014/NRDWP/Water/584	30/03/2015	4216.00	NRDWP-Normal Programme
2.	W-11044/02/2012/Water-II/573	30/03/2015	10.68	National Clean Energy Fund
3.	W-11044/02/2012/Water-II/569	30/03/2015	195.84	National Clean Energy Fund
4.	W-11031/3/2011/Water-II/548	23/03/2015	3692.00	RWSSP_LIS
	Total		**8114.52**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार से विगत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ विश्व बैक सहायतित पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि रू0 8114.52 लाख (रूपये इक्यासी करोड़ चौदह लाख बावन हजार मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश के रूप में रू0 5108.74 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ आठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 13223.26 लाख (रूपये एक सौ बत्तीस करोड़ तेईस लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न घटकों में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटक प्राप्त	केन्द्रांश/विश्व बैंक सहायता	अवमुक्त केन्द्रांश/विश्व बैंक सहायता	अवशेष केन्द्रांश /विश्व बैंक सहायता जो अवमुक्त किया जा रहा है	अपेक्षित राज्यांश	अवमुक्त राज्यांश	अवशेष राज्यांश जो अवमुक्त किया जा रहा है।
1	Sustainability	6556.06	6097.80	458.26	0	0	0
2	Quality	13112.12	12195.60	916.52	13112.12	12195.60	916.52
3	O&M	9834.09	9146.70	687.40	9834.09	9146.70	687.39
4	Coverage	30813.49	28659.66	2153.82	30813.49	28659.66	2153.83
5	Support Activity	4457.50	4457.50	0	0	0	0
6	WQM&S	2666.16	2666.16	0	0	0	0
7	Water Quality Focus Funding (Bacteria)	6791.91	6791.91	0	6791.91	6791.91	0
8	Water Quality Focus Funding (Chemical)	354.20	354.20	0	354.20	354.20	0
9	Natural Calamities	4400.00	4400	0	0	0	0
10	National clean energy funds	206.52	0	206.52	0	0	0
11	World Bank	3692.00	0	3692.00	1351.00	0.00	1351.00
	Total	**82884.05**	**74769.53**	**8114.52**	**62256.81**	**57148.07**	5108.74

3- उपरोक्तानुसार विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त केन्द्रांश/ विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम व अपेक्षित मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 13223.26 लाख (रूपये एक सौ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बत्तीस करोड़ तेईस लाख छब्बीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

I. धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त स्वीकृत आदेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

II. उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार यथावश्यक प्रोगाम व सपोर्ट एकाउन्ट में जमा की जायेगी एवं निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

III. स्वीकृत धनराशि का आहरण यथावश्यक फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

IV. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी/1-925-दस/2015-231/2015, दिनांक मार्च 30, में 2015 / निर्देशों तथा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार-निहित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए धनराशि -विश्व बैंक के दिशा का व्यय किया जायेगा।

4- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 13223.26 लाख (रूपये एक सौ बत्तीस करोड़ तेईस लाख छब्बीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के "अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-4215 -जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-01-जलपूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति-02- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- 01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/रा.50 -के0+रा0)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-432/दस-2015, दिनांक 12 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्याः 343(1)/अड्तीस-5-15, तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, वां तल9, पर्यावरण भवन, सी 0ओ0जी0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारीद्वितीय/ प्रथम (, उ।0प्र0
(3) महालेखाकार, (लेखाद्वितीय/ प्रथम (परीक्षा-, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी/, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, यू0स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि 0पी0, लखनऊ।
(9) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
(11) महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी।
(12) नियोजन अनुभाग-4 -ग्राम्य विकास अनुभाग /3।
(13) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(14) वित्त 0अनु (व्यय नियंत्रण)-2/वित्त 0अनु (व्ययक-आय)-।2
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in